न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौडगढ (राज0)

प्रकरण संख्या– 20 / 2021प्रार्थना पत्र — निर्णय दिनांकः–17.06.2021

1. गिरधारीलाल पिता गोरधनलाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी ढोरिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– प्रार्थी

बनाम

1. गिरधारी पिता वरदीचंद जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी ढोरिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. श्यामलाल पिता नन्दा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी ढोरिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. रामचन्द्र पिता वजेराम जाति बलाई आयु वयस्क निवासी ढोरिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. मानसिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी ढोरिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट</u>

<u>आदेश</u>

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा ढोरिया प0ह0 ढोरिया तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 45 की आराजी नं0 964 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, आराजी नं0 966 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 0.8300 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/–रू0 फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा ढोरिया प0ह0 ढोरिया तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 45 की आराजी नं0 964 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, आराजी नं0 966 रकबा 0.2500 हैक्टेयर,कुल किता 02 कुल रकबा 0.8300 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 17.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड़ अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official